भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 217

उत्तर देने की तारीख-09/08/2023

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के आरक्षित पद

***217 श्री राम नाथ ठाकुरः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 31 जुलाई, 2023 की स्थिति के अनुसार, देश के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित शिक्षकों के कुल पदों की संख्या कितनी है और अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल पदों की तुलना में उनकी विश्वविद्यालय-वार और श्रेणी - वार प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) वर्ष 2023 के दौरान, आज की तारीख तक, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटे में से विश्वविद्यालय-वार और श्रेणी - वार कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के आरक्षित पद के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राम नाथ ठाकुर द्वारा दिनांक 09.08.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 217 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नियमित मोड में चल रहे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) में 1 जुलाई, 2023 तक ओबीसी, एससी और एसटी के लिए श्रेणी-वार कुल आरक्षित पदों की तुलना में प्रतिशत के साथ रिक्त ओबीसी, एससी और एसटी के लिए आरक्षित शिक्षकों के कुल पदों की संख्या का विवरण इस प्रकार हैं:-

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 01.07.2023 की स्थिति के अनुसार शिक्षण स्टाफ (एससी, एसटी और ओबीसी) का विवरण										
स्वीकृत				रिक्त				रिक्त %		
एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी
2284	1141	3608	7033	837	505	1665	3,007	37	44	46

(ख) शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नियमित मोड में चल रहे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) में वर्ष2023 के दौरान श्रेणी-वार एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित कोटा के तहत की गई नियुक्ति की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है:-

<u>वर्ष 2023 के दौरान, जुलाई तक भरे गए पद</u>			
एससी	एसटी	ओबीसी	कुल
150	82	285	517

*****